झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०- 08 / ज०सं०(नि०) हजा०–04–01 / 2016 ..... / राँची, दिनांकः .....

आदेश

श्री उज्जवल कांत प्रसाद (ID-3971), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 3663 दिनांक– 11.07.2019 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली– 43बी० अर्न्तगत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री प्रसाद के विरूद्ध उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के आधार पर निम्न आरोप गठित किया गया :–

   (i) लोटिया जलाशय योजना के आउटलेट का मरम्मति कार्य समुचित रूप से नहीं होने के कारण दोनों आउटलेट से पानी लिक कर रहा था।

   (ii) लोटिया जलाशय योजना के दोनों आउटलेट से संबंधित एप्रोच चैनल में lining एवं Hume pipe के U/s में एक Sump का निर्माण नहीं कराया गया।

   (iii) Right main canal के चेन सं०– 0.48 से 1.48 एवं left main canal के चेन सं०– 132 से 140 में PCC lining कार्य में expansion joint नहीं दिया गया।

   (iv) Right main canal के चेन सं०– 7.00 से 9.00 के बीच बने Aquaduct एवं नहर के बाँधों को जोड़ने के लिए आवश्यक Transition एवं Return wall का निर्माण नहीं कराया गया।

   (v) Outlet के भीतरी सतह में 0"-8" मोटी R.C.C Jacketting का कार्य नहीं किया गया।

   (vi) मापी पुस्तिका सं०– 1662 के पृष्ठ सं०– 02 में Hydraulic m/c से खुदाई एवं ट्रक द्वारा ढलाई कर मिट्टी भराई कार्य में बिना lead chart एवं Borrow Area plan स्वीकृत कराये 59810.35 घनमीटर मिट्टी भराई के लिए 164.00 प्रतिघनमीटर की दर से कुल रूपये 98,08,898.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि अनेकों बार सुनवाई हेतु तिथियाँ निर्धारित किये जाने के बावजूद सुनवाई हेतु उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखने से प्रतीत होता है कि आरोपित पदाधिकारी उज्जवल कांत प्रसाद (ID-3971), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग सम्प्रति सेवानिवृत अपने विरूद्ध गठित आरोप के संबंध में अपना बचाव–बयान नहीं देना चाहते है। इस परिस्थिति में इनके विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित माना जा सकता है।

4. संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में आरोपी पदाधिकारी श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक– 6321 दिनांक– 18.11.2019 द्वाराबचाव–बयान मांगा गया। आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित बचाव–बयान निम्नवत् है :–

आरोप	आरोपी पदाधिकारी का बचाव–बयान
1) लोटिया जलाशय योजना के आउटलेट का मरम्मति कार्य समुचित रूप से नहीं होने के कारण दोनों आउटलेट से पानी लिक कर रहा था।	आउटलेट का मरम्मति कार्य (यांत्रिक कार्य) यांत्रिक प्रमण्डल, बनासो द्वारा कराया गया है। अतः जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग से संबंधित नहीं है।
2) लोटिया जलाशय योजना के दोनों आउटलेट से संबंधित एप्रोच चैनल में lining एवं Hume pipe के U/s में एक Sump का निर्माण नहीं कराया गया।	लोटिया जलाशय योजना के Left outlet के एप्रोच चैनल में Sump का निर्माण नहीं किया गया क्योंकि Hard Rock surface था उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के उपरान्त Sump एवं Lining कार्य की आवश्यकता महसूस नहीं की गई जिसके कारण यह कार्य नहीं कराया गया और न ही भुगतान किया गया।

3) Right main canal के चेन सं०– 0.48 से 1.48 एवं left main canal के चेन सं०– 132 से 140 में PCC lining कार्य में expansion joint नहीं दिया गया।	मूल स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार RMC के Chain-0.48 से 1.48 तक एवं LMC के Chain-132 से 140 तक में Lining कार्य कराया गया। उड़नदस्ता जाँच द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त दिये गये निदेशों के आलोक में शेष बचे कार्यों को विचलन प्राक्कलन के अनुरूप करा लिये गये जिसकी स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के द्वारा हो चुकी है।
4) Right main canal के चेन सं०– 7.00 से 9.00 के बीच बने Aquaduct एवं नहर के बाँधों को जोड़ने के लिए आवश्यक Transition एवं Return wall का निर्माण नहीं कराया गया।	किसानों को पानी खेत तक पहुँचाने के लिए RMC के Chain - 7.00 से 9.00 के बीच बने Aquaduct का निर्माण तत्काल करा कर किसानों के खेत तक पानी पहुँचाया गया। उड़नदस्ता जाँच के निरीक्षण के उपरान्त दिये गये निर्देशों के अनुरूप Transition & Return Wall का निर्माण करा लिया गया है।
5) Outlet के भीतरी सतह में 0"-8" मोटी R.C.C Jacketting का कार्य नहीं किया गया।	स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप कार्य कराया गया। स्वीकृत प्राक्कलन में 0''–8'' Jacketing कार्य का प्रावधान नहीं था।
6) मापी पुस्तिका सं०– 1662 के पृष्ठ सं०– 02 में Hydraulic m/c से खुदाई एवं ट्रक द्वारा ढलाई कर मिट्टी भराई कार्य में बिना lead chart एवं Borrow Area plan स्वीकृत कराये 59810.35 घनमीटर मिट्टी भराई के लिए 164.00 प्रतिघनमीटर की दर से कुल रूपये 98,08,898.00 का अनियमित भुगतान किया गया।	लोटिया जलाशय योजना के जिर्णोद्धार कार्य का एकरारनामा दिनांक– 28.07.2015 को किया गया, जिसमें निर्धारित कार्य अवधि एक वर्ष दिनांक– 27.07.2016 तक निर्धारित थी। मानसून 2016 के मद्देनजर संवेदक द्वारा कार्य युद्धस्तर पर कराया जा रहा था। इसी क्रम में पूर्व से स्वीकृत प्राक्कलन में मिट्टी का लीड 0.5 किलोमीटर से 1.00 किलोमीटर तक निर्धारित की गई थी। जिसके तहत ही संवेदक द्वारा मिट्टी का कार्य सम्पन्न कराया गया। कराये गये कार्य का भुगतान लीड प्लान की स्वीकृति की प्रत्याशा में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के मौखिक आदेशानुसार किया तथा लीड प्लान की स्वीकृति मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के पत्रांक– 244 दिनांक– 13.02.2017 के द्वारा कर दी गई है। जिसमें मिट्टी की मात्रा 64175.200 घनमीटर है। ऐसी परिस्थिति में उक्त भुगतान के लिए मुझे आरोपित नहीं समझा जाय।

5. श्री प्रसाद के बचाव–बयान के समीक्षोपरान्त निम्न तथ्य पाया गया :–

(i) आरोप सं०–2 के मामले में आलेख्य के अनुसार स्थल विशेष के कारण जो कार्य नहीं हो सकता था उसपर सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त कर ली गई थी इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। आरोप सं०–3 एवं 4 से संबंधित कार्रवाई उड़नदस्ता जाँच द्वारा दिये गये निदेशों के अनुरूप पूर्ण करा लिये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु इसका कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। आरोप सं०–5 के संदर्भ में भी कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

(ii) इनके विरूद्ध गठित मुख्य आरोप सं०–6 के संदर्भ में वस्तु स्थिति यह है कि मिट्टी भराई कार्य से संबंधित भुगतान इनके द्वारा दिनांक– 16.06.2016 को कर दिया गया, जबकि Borrow Area एवं Lead plan की स्वीकृति मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक– 13.02.2017 को दी गई। घटनोत्तर स्वीकृति मिल जाने के उपरान्त यद्यपि इसमें वित्तीय क्षति नहीं हुआ प्रतीत होता है, परन्तु प्रावधान अनुसार Borrow Area एवं Lead plan पर मुख्य अभियंता की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद भी इस प्रकार का भुगतान किया जाता है। इन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि Borrow Area एवं Lead plan की स्वीकृति हेतु इनके द्वारा प्रस्ताव कब उपस्थापित किया गया था, इनके द्वारा प्रश्नगत् भुगतान, Borrow Area एवं Lead plan पर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपस्थापित किये जाने के पूर्व ही कर दिया गया है अथवा कम से कम प्रस्ताव उपस्थापन के बाद किया गया है, यह भी स्पष्ट नहीं है। मुख्य अभियंता के स्वीकृति के पूर्व ही भुगतान करने का सुस्पष्ट Justification भी नहीं दिया गया है।

बिना सक्षम प्राधिकार के स्वीकृति के किया गया उक्त भुगतान अनियमित है, इसमें अधिकाई व्यय भी हो सकता है। चूँकि कार्यपालक अभियंता के द्वारा ही भुगतान किया जाता है। अतएव, इस तरह के भुगतान के लिए कार्यपालक अभियंता की ही मुख्य रूप से जिम्मेवारी बनती है। फलतः श्री प्रसाद का कृत्य असंतोषजनक सेवा एवं कदाचार का द्योत्तक के रूप में है।

6. सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के बचाव–बयान को अस्वीकृत करते हुए विभागीय पत्रांक– 2195 दिनांक– 08.04.2021 द्वारा निम्न दण्ड प्रस्ताव के साथ द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया –

पेंशन से 5% की कटौती एक वर्ष के लिए।

7. श्री प्रसाद के कारण पृच्छा का प्रतिउत्तर अप्राप्त रहने पर पत्रांक– 4947 दिनांक– 29.09.2021 पत्रांक– 1419 दिनांक– 03.03.2022 द्वारा स्मारित किया गया एवं ज्ञापांक– 2690 दिनांक– 12.05.2022 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गई। इस प्रकार पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा का प्रतिउत्तर अप्राप्त रहा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ये उक्त संबंध में कुछ कहना नहीं चाहते हैं।

8. अतएव, उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर श्री उज्जवल कांत प्रसाद, तदेन कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग, सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध निम्न प्रस्तावित दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही निष्पादित किया जाता है :–

पेंशन से 5% की कटौती एक वर्ष के लिए।

इसपर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

एतद द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(अशोक कुमार साह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 4594 राँची/दिनांक 30/08/22

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, (ले० एवं हक०) झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची/ श्री उज्जवल कांत प्रसाद, (ID- 3971) तदेन कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता पता – साई आश्रय अपार्टमेंट, फ्लैट नं०– 403/बी०, अरगोड़ा, कटहल मोड़ रोड, पुनदाग, राँची, पिन– 834004, फोन नं०– 9955161469 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/8

(अशोक कुमार साह)
सरकार के संयुक्त सचिव